प्रेसनोट दिनांक 02-08-2019 जनपद मुरादाबाद।

1- चोरी की सोने की चैन, चोरी के मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित 02 अभियुक्त व चोरी की सोने की चैन खरीदने वाला 01 अभियुक्त (कुल 03 अभियुक्त) गिरफ्तार, थाना पाकबडाः-

दिनांक 06-07-2019 को वादिनी श्रीमती रुखसाना पत्नी जरीफ अहमद निवासी ख्वाजा कालोनी कस्बा व थाना पाकबडा ने मोटरसाइकिल नम्बर नामालूम पर सवार दो लड़के नाम पता अज्ञात द्वारा वादिनी के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चैन छीन कर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना पाकबडा पर तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना पाकबडा में मु0अ0सं0-186/19 धारा 379/356 भादवि बनाम मोटरसाइकिल नम्बर नामालूम पर सवार दो लड़के नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के क्रम में आज दिनांक 02-08-2019 को उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना पाकबडा ने मय हमराही पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1-जीतू पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम फाजलपुर थाना मझोला, 2-अरविन्द पुत्र महेश निवासी लाकडी फाजलपुर थाना मझोला को टी0एम0यू0 कॉलेज के सामने से समय 12.10 बजे उक्त घटना में प्रयुक्त की गयी मोटर साइकिल स्पलेण्डर बिना नम्बर सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि उनके द्वारा उक्त घटना में छीनी गयी चैन को सर्राफ मुशाहिद हुसैन पुत्र शाहिद हुसैन निवासी मोहल्ला जुमेरात का बाजार कस्बा व थाना पाकबडा को बेंच दिया गया है। उक्त बयानों के आधार पर सर्राफ शाहिद हुसैन उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से चोरी की उक्त चैन बरामद की गयी। अभियुक्त जीतू उपरोक्त के कब्जे से एक चोरी का मोबाइल एम0आई0 कम्पनी का बरामद हुआ, जिसके सम्बन्ध में थाना पाकबडा में मु0अ0सं0-210/19 धारा 379 भादवि पूर्व से पंजीकृत है। बरामदगी के आधार पर उक्त दोनों अभियोगों में धारा 411 भादवि की बृद्धि कर गिरफ्तार किये गये उक्त तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

2- चोरी के ई-रिक्शा सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार, थाना कटघरः-

आज दिनांक 02-08-2019 को वादी श्री करन सिंह पुत्र कल्लू सिंह निवासी ग्राम मूण्ढापांडे थाना मूण्ढापांडे ने अभियुक्त द्वारा वादी का ई-रिक्शा नम्बर यूपी 21 सीएन 0367 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कटघर में तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना कटघर में मु0अ0सं0-503/19 धारा 379 भादवि बनाम मोईन पुत्र मुन्ना मीर निवासी मौहल्ला सिंहमन हजारी थाना कटघर पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के क्रम में उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना कटघर ने मय हमराही पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर नामजद अभियुक्त मोईन पुत्र मुन्ना मीर उपरोक्त को हनुमान मूर्ति तिराहा के पास से समय 12-30 बजे उक्त घटना में चोरी किये गये ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार किया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी।

3- अश्लील हरकतें कर जान से मारने की धमकी देने में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना मझोलाः-

दिनांक 18-05-2019 को वादी.........निवासी क्षेत्रान्तर्गत थाना मझोला ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री उम्र नामालूम को नमाज पढ़ाने के बहाने घर बुलाकर कमरे में बन्द कर अभियुक्त शारिक द्वारा अश्लील हरकतें करना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना मझोला पर तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना मझोला पर मु0अ0सं0 333/19 धारा 342, 354क, 506 भादवि बनाम 04 नफर नामजद पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 02-08-2019 को उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना मझोला ने मय हमराही पुलिसबल मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त शारिक पुत्र हबीब निवासी मंसूरी कालोनी जयन्तीपुर थाना मझोला को उसके घर से समय 09.00 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा। शेष नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना पुलिस प्रयासरत है।

4- <u>चोरी की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना मझोला</u>:-

दिनांक 02-07-2019 को वादिनी श्रीमती ललिता पत्नी वेद प्रकाश निवासी सेक्टर 6बी बुद्धि विहार थाना मझोला ने अभियुक्तों द्वारा वादी के मकान से सरिये के टुकड़ों को चोरी करने व मौके से मय सरिया के टुकडों सहित अभियुक्त आकाश के पकड़े जाने एवं अन्य के भाग जाने के सम्बन्ध में थाना मझोला पर तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना मझोला पर मु0अ0सं0 538/19 धारा 380, 511 भादवि बनाम 02 नफर नामजद पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 02-08-2019 को उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना मझोला ने मय हमराही पुलिसबल मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त दीपक पुत्र अनिल शर्मा निवासी मझोली ओवरसीज बैंक वाली गली थाना मझोला को उसके घर से समय 11.30 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा।

5- <u>छेड़छाड़ में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वारा</u>:-

दिनांक 29-06-2019 को वादिनी श्रीमती....... निवासी क्षेत्रान्तर्गत थाना ठाकुरद्वारा ने अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ अश्लील हरकतें कर छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0 255/19 धारा 354 भादवि बनाम सुनील कुमार पुत्र नेतराम निवासी ग्राम राजूपुर पानूवाला थाना ठाकुरद्वारा पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 02-08-2019 को उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना ठाकुरद्वारा ने मय हमराही पुलिसबल मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त सुनील कुमार उपरोक्त को उसके घर से समय 07.30 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा।

6- <u>कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वारा</u>:-

दिनांक 01-08-2019 को उ0नि0 श्री मुकेश राजौरा थाना ठाकुरद्वारा ने मय हमराही पुलिसबल मुखबिर की सूचना पर ग्राम रायभूड़ में ईख के खेत से अभियुक्त 1-यशपाल सिंह पुत्र गणेश सैनी निवासी शेरपुर पट्टी तालमपुर थाना ठाकुरद्वारा 2-विनी सिंह पुत्र मुकुन्दी सिंह निवासी उपरोक्त को मौके से 55 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों सहित समय 15.50 बजे गिरफ्तार

किया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0 314/19 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर जेल भेजा गया है।

7- <u>लकड़ी चोरी में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना कुन्दरकीः-</u>

दिनांक 26-10-2018 को वादी श्री बुद्धा सिंह पुत्र नामालूम वन रक्षक रेंज स्वार जनपद रामपुर ने अभियुक्तगण के कब्जे से आयशर कैन्टर नं0 यूके 32 सीए 2827 में प्रतिबन्धित लकड़ी खैर के 52 नग को चोरी से काटकर ले जाते हुये मय लकड़ी के अभियुक्त 1-नरेश पुत्र लाल सिंह निवासी आहारपुर थाना काशीपुर जनपद ऊधमसिंह नगर 2-अमित पुत्र चन्द्रपाल निवासी मोहल्ला टांडा थाना काशीपुर जनपद ऊधमसिंह नगर का मौके से पकड़े जाने एवं अन्य का फरार हो जाने के सम्बन्ध में थाना कुन्दरकी पर मु0अ0सं0 357/18 धारा 379, 411, 413, 414 भादवि व 26, 41, 42, 52, 65ए भारतीय वन अधिनियम बनाम 06 नफर नामजद पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 02-08-2019 को उ0नि0 श्री जनप्रिय गौड़ थाना कुन्दरकी ने मय हमराही पुलिसबल मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त रंजीत पुत्र भान सिंह निवासी केसरी पुर थाना कुण्डा जनपद ऊधमसिंह नगर उत्तराखन्ड को मोहनपुर तिराहा से समय 12.50 बजे गिरफ्तार किया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना पुलिस प्रयासरत है।

8- <u>मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना मैनाठेरः-</u>

दिनांक 30-07-2019 को वादी फुरकान पुत्र बन्ने निवासी ग्राम बरेठा खिजरपुर थाना मैनाठेर ने अभियुक्तगण द्वारा अकारण वादी के साथ मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना मैनाठेर पर तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना मैनाठेर पर एनसीआर नं0 77/19 धारा 323, 504 भादवि पंजीकृत किया गया। जोकि दिनांक 01-08-2019 को एनसीआर से मु0अ0सं0 210/19 धारा 326 भादवि की बढ़ोत्तरी कर तरमीम किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 02-08-2019 को उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना मैनाठेर ने मय हमराही पुलिसबल मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त 1-आफताब पुत्र हाजी छन्नू उर्फ हामिद निवासी रसूलपुर हमीर थाना मैनाठेर 2-आजम पुत्र बाबू निवासी ग्राम बरैठा थाना मैनाठेर को डींगरपुर तिराहा पाकबड़ा रोड से समय 12.00 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा।

9- <u>जुआं खेलते 04 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना कांठः-</u>

दिनांक 01-08-2019 को उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार थाना ठाकुरद्वारा ने मय हमराही पुलिसबल रात्रि गस्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर पाठंकी तिराहा के पास करुला नदी पर अभियुक्तगण 1-सलीम अहमद पुत्र राशिद निवासी जुमे की बाजार उमरी कलां थाना कांठ 2-हसीन अली पुत्र नजीर निवासी उपरोक्त 3-अय्यूब पुत्र मकबूल निवासी मोहल्ला अंसारियान उमरी कलां थाना कांठ 4-हनीफ पुत्र जमील निवासी उपरोक्त को जुआं खेलते मौके से 52 पत्ते ताश एवं 2500/- रुपये नगद सहित समय रात्रि 22.52 बजे गिरफ्तार किया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कांठ पर मु0अ0सं0 194/19 धारा 13जी एक्ट पंजीकृत किया गया है।